**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Combined discussion on the Disapproval of Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 and Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018 (Discussio n not concluded)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

"That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.4 of 2018) promulgated by the President on 18th May, 2018."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Council Act, 1973, be taken into consideration."

महोदया, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और शिक्षा के समग्र विकास हेतु कार्य करता है। इस मंत्रालय के दो सांविधिक विनियामक निकाय हैं, जिनके नाम हैं केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद। ये निकाय अन्य बातों के साथ-साथ क्रमश: आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शिक्षा को विनियमित करते हैं।

महोदया, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथी चिकित्सा की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करती है, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण करती है और उससे संबंधित मामलों पर कार्य करती है। यह अधिनियम एलोपैथी कॉलेजों में शिक्षा से संबंधित कार्य करने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कॉलेजों में शिक्षा से संबंधित कार्य करने वाले भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 की तर्ज पर बनाया गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी को पूरे विश्व भर में स्वीकार्यता मिल रही है और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में होम्योपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी महत्व प्राप्त हुआ है और उसे पूरे देश में लोकप्रियता मिली है। तदनुसार, भारत सरकार हमारी पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ उनकी अपनी-अपनी क्षमता के आधार पर होम्योपैथी के विकास को उच्च अग्रता प्रदान कर रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति देने के तरीके में भी ज्यादा सतर्कता बरतने की प्रक्रिया में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का संशोधन, उसमें धारा 12(क) को जोड़ते हुए किया गया था, जिसमें कोई नया कॉलेज खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा कोई नया पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। यह संशोधन इसलिए किया गया था कि अवमानक कॉलेज खोलने अथवा इस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा अतिरिक्त सीटें बढ़ाने पर रोक लगाई जा सके।

यहां यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 1983 की विनियमावली का अधिक्रमण करके बनाई गई होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विनियमावली, 2013 में यह अपेक्षा की गयी थी कि सभी होम्योपैथिक कॉलेजों को अपनी मान्यता के नवीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी तथापि पूर्वोक्त अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को उक्त अधिनियम के अधीन इस स्वायत्त कानून में एक विशेष शक्ति शामिल करने की आवश्यकता है।

वर्तमान होम्योपैथी कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण हेतु इस अधिनियम में सक्षम प्रावधानों के न होने के कारण कुछ ऐसे अवमानक कॉलेज कार्य कर रहे हैं जो इस विनियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदंड पूरे नहीं करते हैं । इसलिए इसमें जो डिग्री प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा लेते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसको मान्यता देने में कठिनाइयाँ हैं। इसके कारण उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महसूस किया है कि सीसीएच अधिनियम में संशोधन करके तत्काल धारा 12ग जोड़ना आवश्यक है जिसमें सभी होम्योपैथी कॉलेजों के मानकों का सत्यापन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका का प्रावधान हो और तदनुसार इस उद्देश्य से बनाई गई विनियमावली के अनुसार कॉलेजों को मान्यता दी जा सके।

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद शीर्ष विनियामक निकाय के रूप में वांछित सीमा तक होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक मानकों को प्रदान करने में सफल नहीं हुई है।

कई होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज अभी भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, इसीलिए सीसीएच और उसके आचरण में गंभीर कदाचार के उदाहरण सामने आए हैं और परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। मंत्रालय ने परिषद के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और परिषद के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि, सीसीएच मंत्रालय की ऐसी सभी पहलों को रोक रहा है।

महोदया, जिस तरह से इल्लीगल कॉलेज होते हैं, उनके मामले में मंत्रालय के पास अधिकार नहीं है। वे कॉलेज एक रूम में भी चलते हैं, वहाँ हास्पिटल भी चलता है, वहाँ कॉलेज भी चलता है। इसके लिए एक अधिनियम लाना हमारे लिए आवश्यक है।

महोदया, मंत्रालय ने परिषद के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और परिषद के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि, सीसीएच मंत्रालय की ऐसी सभी पहलों को रोक रहा है।

सीसीएच के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह बहुत वर्षों से अध्यक्ष रहे और उनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 19 दिसम्बर, 2016 को सीबीआई ने उनको 20 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा। उनके ऊपर सीबीआई के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वे लगभग डेढ़-दो महीने जेल में भी रहे। इन परिस्थितियों में शीर्ष केन्द्रीय विनियामक निकाय के अध्यक्ष के रूप में डॉ. रामजी सिंह को पद पर बनाए रखना होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के हितों के खिलाफ है।

सीबीआई ने अपने दिनांक 31.03.2008 के पत्र में सीएचसी के तत्कालीन सचिव डॉ. ललित वर्मा के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की थी।

सीएचसी में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए 54 माननीय सांसदों ने शिकायत की थी। उसके आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी जाँच की गई और कमेटी की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग की सहमति से डॉ. ललित वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था। इसके बाद भी, यह केस खत्म नहीं हुआ। जब वे रिटायर हुए, तो मंत्रालय ने कहा कि उनके रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाएँ, लेकिन जब केस खत्म हो जाए, तो यह दे दिया जाए। इसे भी नहीं माना गया और रिटायरमेंट के वक्त उनको सभी लाभ देते हुए घर भेजा गया।

यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डॉ. रामजी सिंह, पूर्व अध्यक्ष, सीसीएच सहित परिषद् के कई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वहाँ बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पाँच वर्ष का टर्म पूरा होने के बाद केवल तीन महीने तक वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वे डेढ़ वर्ष तक वहाँ बैठे रहे और जो चुनाव करना था, वह नहीं कर पाए।

इसी अवस्था में होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों में गुणवत्ता का मामला भी चिन्ता का विषय बन गया। आयुष कॉलेजों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता तथा कार्यकारिणी में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने सहित कई महत्त्वपूर्ण उपाय किए थे। इस संदर्भ में, मंत्रालय ने सभी होम्योपैथी कॉलेजों के अध्यापन स्टाफ, गैर-अध्यापन अस्पताल स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आधार आधारित जियो लोकेशन सक्षम उपस्थिति प्रणाली हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गये थे।

सीसीएच द्वारा मंत्रालय के निर्देशों का आज तक अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी तरह से मंत्रालय ने प्रयास किए कि इसमें ठीक तरह से पारदर्शी व्यवहार हो। जो-जो हमने कहा, वह उन्होंने नहीं माना। इसलिए आज हमें इस नियम को लाने की कोशिश करनी पड़ी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीसीएच द्वारा किए जाने वाले सहयोग और भरोसे का सीसीएच के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह द्वारा पूरा उल्लंघन किया गया, जब उन्होंने आयुष मंत्रालय को यह उल्लेख करते हुए लिखा कि परिषद मंत्रालय को कोई भी सिफारिश नहीं करेगी।

अत: परिषद को बचाने और इसके सही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी कार्यकारिणी बहाल करने तथा प्रवेश से संबंधित समयबद्ध मामलों के निपटान हेतु तत्काल उपाय किए जाने आवश्यक हैं। परिषद के लिए किसी सुधारात्मक उपाय का एकमात्र विकल्प ऐसे व्यक्ति को इसका कार्यभार सौंपना है, जिनके पास शुद्ध ईमानदारी सहित अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव हों और जो पारदर्शी रूप में परिषद की कार्यकारिणी सुनिश्चित कर सके।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी बहत महत्वपूर्ण है कि मौजूदा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में परिषद के सदस्यों / अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रयोजन के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में केन्द्र सरकार ने यह अध्यादेश प्रस्तावित किया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने 18 मई, 2018 को प्रख्यापित किया है।

तदनुसार मंत्रालय ने परिषद का पुनर्गठन होने तक परिषद का कार्यभार संभालने के लिए एक विख्यात अर्हता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सकों वाला शासक मंडल नियुक्त किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शासक मंडल द्वारा मौजूदा परिषद का अधिक्रमण किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि अथवा केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए परिषद की कार्यकारिणी के लिए जिम्मेदार होगा।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के मुख्य प्रावधान निम्न अनुसार हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए शासक मंडल की नियुक्ति द्वारा सीसीएच को अधिक्रमित करना है।

दूसरा, केन्द्रीय परिषद द्वारा बनाई गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा मौजूदा सभी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीकरण ।

तीसरा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विख्यात अर्हता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सकों वाले शासक मंडल को परिषद का कार्य सौंपा जाना।

मैं विश्वास के साथ यह बताना चाहता हूं कि शासक मंडल ने मई, 2018 में अपनी पहली बैठक आयोजित की और अधिनियम द्वारा 12क के अंतर्गत मौजूदा सभी 223 होम्योपैथी कॉलेजों के नवीकरण का निरीक्षण शुरू किया है तथा 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासक मंडल शीघ्रता से निरीक्षण कर रहा है और कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा है, ताकि शैक्षणिक सत्र में बाधा न आए। इसके अतिरिक्त शासक मंडल होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार परिषद का कार्य संभाल रहा है।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के साथ मैं सदन से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार करने और होम्योपैथी के विकास के लिए प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.4 of 2018) promulgated by the President on 18th May, 2018".

"That the Bill further to amend the Homoeopathy Council Act, 1973, be taken into consideration."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Speaker, I moved the Statutory Resolution against the Ordinance promulgated by the Government.

Madam, we have been observing that the Government has been resorting to indiscriminate use of ordinances whereby the democratic norms and procedures are being severely undermined. This is my observation. The reason is self-evident from the Statement of the Minister in which he states that as Parliament was not in Session, immediate action was required to be taken and so the President promulgated the Homoeopathy Central council (Amendment) Ordinance, 2018 on the 18th of May, 2018. This Session commenced on 18th July.

That means only two months elapsed before the commencement of the Parliament. Do you think that the Ordinance, which was meant for dismantling the CCH was so paramount, was so imperative that you did not have any patience to wait for another two months? The simple reason is that Government has been going on an Ordinance spree. The Government has been turned into an 'Ordinance-holic' Government. They are employing the instrument of Ordinance as a political Ordnance with a distinct view of saffronizing each and every institution under their custody. आपने अभी-अभी कहा कि राम सिंह जी ने रिश्वत ली इसलिए उनको हटा दिया गया। यह अच्छा है, रिश्वत कोई भी ले सकता है, ...* ले सकता है, ...* ले सकता है, ...* के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए, हमारे दोस्त नायक साहब ने किसी से रिश्वत ली। मैं यह नहीं मानूंगा कि नायक साहब रिश्वत लेते हैं। तर्क की खातिर मान लीजिए रिश्वत लिया, क्या सारे आयुष मिनिस्ट्री को भंग कर देंगे? इतनी छोटी सी बात को साबित करने की कोशिश करें कि ...* डॉयरेक्टर होने के नाते सारे सीसीएच को भंग कर देंगे, इसे आपके हिसाब से सही ठहराया जाता है, यह बड़े दुख की बात है। यह स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लनेटरी है कि आपने बड़ी बेरहमी से सीसीएच को भंग किया है। Simply, this is an innocuous legislation. I

do not have any substantial argument to oppose this legislation because it appeared to be an innocuous legislation, but the way they are going to dismantle the apex body which is the decision making body under their Ministry, I think no plausible rationale can be trotted out by them. It is nothing but an authoritarian step that has been taken by them. By this way of promulgation of Ordinance, they should not have dismantled the institution under the nomenclature of CCH.

Madam, frequent resort to this power by the Government, particularly on dates too close to a Session of Parliament is condemnable. Ordinance should not be promulgated unless it is absolutely necessary. आप बताइए, Whether the situation was absolutely necessary? मैं कौल-शकधर को रेफर करता हूं। Dates too close to a Session सेशन में सिर्फ दो महीने बाकी थे और इस बीच किस मजबूरी में आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है।

Power of Parliament to look into the desirability of the Ordinance is simply an ex post facto matter. आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जारी करने से पहले हमसे कोई उपाय नहीं किया कि हम उसकी रोकथाम करें। यह एक पोस्ट फैक्टो मैटर है, इसलिए हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह बात सही है कि it is not conducive to Parliamentary tradition. यह बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और खासकर हमारे पूर्व स्पीकर्स की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं है। अगर आप किसी को नहीं मानेंगे तो हम कैसे चलेंगे? सिर्फ दो महीने का इंतजार आप सहन नहीं कर पाए। ...* नाम के किसी आदमी ने रिश्वत ली। रिश्वत तो मेडिकल काउंसिल में भी ली गई थी तो क्या आपने पूरी मेडिकल काउंसिल की तोड़फोड़ कर दी? उस समय हिम्मत नहीं हुई। ... (व्यवधान) नहीं, इस तरह से नहीं हुआ था। जायसवाल जी आप एक डॉक्टर हैं, आप बताइए कि क्या सिर्फ एक डायरेक्टर ने कोई गलती की तो क्या उसके लिए, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, उसे इस तरीके से भंग करना क्या सही है? ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। मैं करने के लिए कैसे कह सकता हूं, मैं विपक्ष में हूं। ... (व्यवधान) जायसवाल जी, खुद एक डॉक्टर है, इसीलिए मैंने जायसवाल जी से पूछा है।... (व्यवधान) मंत्री जी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में खुद कहा है :

> "The Central Government has taken various steps to streamline the functioning of the Council and to bring transparency in the affairs of the Council. However, the Council has been stalling all such

initiatives of the Central Government. Many Members of the Council are continuing in the Council long after their tenure is completed. Further, there have been many charges of serious misconduct against the President of the Council, who continued to be a Member in the Council even after the end of his tenure as the election to elect the new incumbent could not be completed in time."

इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपकी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसने होने नहीं दिया। आप खुद कह रहे हैं कि आपके कोशिश करने के बावजूद आपकी बात नहीं सुनी गई। इसका मतलब है कि यह आपकी नाकामयाबी है। आप अपने स्टेटमेंट में खुद कह रहे हैं कि आपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, लेकिन वह हो नहीं सका। आपने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका। क्या इसकी रेमेडी है - काउंसिल को भंग कर देना? इसकी रेमेडी थी इसको चुस्त-दुरुस्त करना। हम यहां लेजिस्लेशन किसलिए लाते हैं? हम लेजिस्लेशन लाते हैं किसी चीज को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, किसी संस्था को भंग करने के लिए नहीं। ये खामियां आपकी हैं। मंत्री होते हुए आपने इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी कोशिश नाकामयाब रही। आपकी कोशिश नाकाम रही। इस तरह की नाकामयाबी का बयान खुद देकर आप मंत्री पद की गरिमा को शून्य कर रहे हैं। यह आपकी नाकामी है। अपनी नाकामी के लिए आप एक इंस्टीट्यूशन को भंग कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

मैडम, मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** बोलिए, लेकिन इसे आज के दिन में समाप्त भी करना है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैडम, मैंने अभी शुरू किया है। ... (व्यवधान) मैडम, यह खुद इनकी इनकम्पिटेंसी का स्टेटमेंट है। होम्योपैथी के साथ हमारा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। होम्योपैथी के साथ बंगाल का बहुत पुराना रिश्ता है। मंत्री जी जानते हैं। आज नहीं, हिन्दुस्तान में सबसे पहले, वर्ष 1937 में बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली में होम्योपैथी को रिकग्निशन देने के लिए ब्रिटिश जमाने में बिल पारित हुआ था। गयासुद्दीन नाम के एक एमएलए ने यह बिल पारित कराया था।

बंगाल में सबसे पहले होम्योपैथी को एक फैकल्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। ... (व्यवधान) बंगाल का होम्योपैथी से बहुत पुराना रिश्ता है। आपने एक डेमोक्रेटिकली

इलेक्टेड बॉडी, सीसीएच को कैसे भंग किया, क्यों किया? यह करना आपकी गलती है, यह आपको कहना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि आप अभी वहां किसी को एक साल के लिए जिम्मेवारी सौंपेंगे। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे, उसमें कौन-कौन मैम्बर्स होंगे, उन मैम्बर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? मैं भी उन मैम्बर्स का क्राइटेरिया जानता हूं और आप भी जानते हैं। वहां आप अपने आदमी को बैठा रहे हैं। मैंने पहले सवाल किया था कि भगवाकरण हो रहा है, आप भगवाकरण के चलते वहां अपने आदमी को बैठाए, नहीं तो कौन-सा पैरामीटर है? ...(व्यवधान) आपने कोई पैरामीटर नहीं बताया है कि ऐसे पैरामीटर के चलते, मैंने ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया।

मंत्री जी का मंत्रालय आयुष है, उसमें आयुर्वेद, होम्पोपैथी, यूनानी और सिद्धा हैं, लेकिन आपके सेक्रेट्री, वहां पहले आईएएस बैठा करते थे, अभी वहां किसी आयुर्वेदा वाले को बैठा दिया । ...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** श्री अधीर रंजन चौधरी, आपने केवल पांच मिनट के लिए बोला था।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** मैडम, यह बिल है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इनको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं कि आज होम्योपैथी में जेनेटिक्स आ गए हैं, जिनो होम्योपैथी। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान में पहली बार होम्योपैथी के साथ जेनेटिक्स कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी तरक्की है। इसके मंत्री नाईक साहब हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी भी गरिमा नड्डा जी की तरह हो। ऐसा लगता है कि आप ...* मंत्री हैं। आप भी नड्डा जी की तरह ही मंत्री हैं, मैं उसी हैसियत से आपको देखना चाहता हूं।

क्या हमारे देश में ऐसा कोई एकाउंट है कि कितने सारे लोग होम्योपैथी पर निर्भर करते हैं? मुझे यह जानकारी है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग होम्योपैथी के ऊपर निर्भर करते हैं। होम्योपैथी एक आर्ट है, साइंस है, चीप ड्रग है। हमारे देश में चार हजार से ज्यादा होम्योपैथी मेडिसिन्स मिलती हैं।

Hippocrates, the Father of Medicine in the ancient Greece, first discovered the law of similars and law of opposites. The law of similars means Homeopathy. The law of opposites means orthodox medicine. The medicine which follows the law of similars is called Homeopathy. It has no side effects, no addictiveness and no toxicity. That is why there is a huge potentiality of Homeopathic medicines in our country. Already, 86 countries across the world

have recognised Homeopathy as an alternative medicine. So, there is a huge potentiality. That is why, I am very much interested to see the growth of homeopathic sector in our country which has been growing by a margin of 20 per cent to 25 per cent. So, there is a huge potentiality of Homeopathy.

But you do not have any sympathy; and you do not have any empathy for Homoeopathy. Rather you are displaying your apathy. You are displaying your antipathy to Homoeopathy. There lies the problem. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आपने कैसे भंग कर दिया? मैं मंत्री जी के सामने दो चीजें रखना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदया, छह बजे तक मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

The Ministry of AYUSH which shall be the in-charge of permitting persons and colleges for offering Homoeopathy courses and expand such courses has also been promoting the clause 49 of the National Medical Commission Bill 2017 which focuses on bridge course, that allows homoeopathic profession to prescribe allopathic treatment in rural areas. This has been criticised as lowering the standing of rural health, as allopathic treatment will now be delivered by practitioners who took a short cut instead of the standard MBBS. ऐसा मत कीजिए। शॉर्ट कट कोर्स बनाकर डाक्टर्स की तादाद हिंदुस्तान में जबरदस्ती बढ़ाते हुए हमारी हेल्थ सर्विस को हानि मत पहुंचाइए। मैं दिल से जानता हूं कि हमारे दोस्त डॉ. संजय जायसवाल मेरी इस बात से सहमति दिखाएंगे, क्योंकि वे एमबीबीएस डाक्टर हैं। आप ब्रिज कोर्स के जरिए किसी को भी डाक्टर बना देते हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि एनडीए के समय में हिंदुस्तान में कितनी अधिक संख्या में डाक्टर्स बने हैं। अभी भी देश में दो लाख से ज्यादा होम्योपेथी के डाक्टर हैं। सालाना देश में 12 से 13 हजार होम्योपेथी डाक्टर्स बनते हैं। इन्हें ब्रिज कोर्स पढ़ाकर इतनी जल्दबाजी में रूरल हैल्थ डिलिवरी के लिए सारे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि मत पहुंचाइए।

आपको एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान इधर-उधर है। आपको रामजी सिंह को सबसे बड़ा दुश्मन ठहराना पड़ा। आप प्रैक्टिस करने वालों को और ज्यादा ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कीजिए। आप कह रहे हैं कि एक छोटा घर है, कमरा नहीं है। कमरा इसलिए नहीं है, क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप सरकार से पैसा मांगिए और खर्चा करके गांव-गांव में होम्योपेथी सैंटर क्यों नहीं बनाते हैं?

कालेज बनाना आपकी जिम्मेदारी है, कोर्स करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सीसीआई आटोनोमस बॉडी थी। उससे आपने सारी पावर ले ली है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई सहायता नहीं करते हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। There is no focus on strengthening training. The Bill focuses on the authority of the Central Government in addressing the corruption. However, it does not ensure a robust mechanism for improving the quality of practitioners being trained under these institutes.

The Government will permit more number of bridge courses under the curriculum of these institutes seeking to expand courses which will do more harm in the health sector.

Instances regarding the Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council have increased which is an over reach of the Ministry into roles that should ideally be delegated to autonomous bodies.

**माननीय अध्यक्ष :** आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदया, मैं कुछ प्वाइंट्स कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

**माननीय अध्यक्ष :** आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदया, सभी लोग मेरी बात को एनज्वॉय कर रहे हैं।

**माननीय अध्यक्ष :** ठीक है, लोग एनज्वॉय कर रहे हैं, लेकिन समय समाप्त हो गया है।

**श्री अधीर रंजन चौधरी :** महोदया, आज चर्चा समाप्त नहीं होगी, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष :** इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोलते जाओगे । आप कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

… (*Interruptions*)

**18 00 hrs**

HON. SPEAKER: This is not the way. You complete it now.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Standing Committee on Health observed, "The conformation of prescribed standards of Homoeopathy education has been compromised due to legal infirmities in the governing statute."

The Committee had recommended that the oversight of maintenance of standards should be done with the utmost transparency and there should be a credible and vibrant appeal mechanism in place so that minor technical and procedural defaults are not made a basis for harassment, and questionable practices and genuine grievances of homoeopathy medical institutions are addressed swiftly within set timelines.

मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। होम्योपैथिक कॉलेजेज़ को यूनिवर्सिटी से एफिलिएट क्यों नहीं किया जाता है? Homoeopathy Colleges should be affiliated with the universities. हम भी चाहते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की और तरक्की हो ।

HON. SPEAKER: Yes, you have completed.

Now the House stands adjourned to meet again on Monday, the 30th July, 2018 at 11 a.m.

**18 01 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock*

*on Monday, July, 30, 2018/Shravana 8, 1940 (Saka).*

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not rcorded.

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded

* Not recorded